यौमे आशुरा
और
माहे मुहर्रम
से हमारा तअल्लुक़ 4

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सब तअरीफ़े अल्लाह के लिये हैं जो सारे जहानों का पालन हार है।
बेशुमार दुरूद सलाम हो मोहम्मद सल्ललल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि ''साल के बारह महीनों में चार महीने अदब के हैं। इन्सानी ज़िन्दगी के बन्दोबस्त में सीधा-सच्चा दीन सिर्फ़ यही है! अदब के महीनों में ज़ुल्म न होने दो कि इसमें ख़ुद तुम्हारा नुक्सान है। (सुरह तौबा-आयत-36)

मुहर्रम इस्लामी तक्वीम का पहला महीना है और यह हराम व मुहतरम महीनों में शामिल है, जो चार हैं, 1. मुहर्रम 2. रजब 3. ज़ी क़अदा 4. ज़िल्हिज्जा।
इस्लाम में माहे मुहर्रम की बड़ी अहमियत है। उसकी वजह एक तो यह है कि इससे क़मरी साल का आग़ाज़ होता है और दूसरी वजह यह है कि इसी महीने (मुहर्रम) की दसवीं तारीख़ यानि ''आशूरा'' के दिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी क़ौम को फ़िरऔन से निजात मिली।

''यौमे आशुरा'' के रोज़े की फज़ीलत

1. इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने देखा कि यहूदी ''आशुरा'' के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्ल.ने जब यहूद से इसकी वजह मालूम की तो उन्होने बतलाया कि यह एक अच्छा दिन है। इसी दिन अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को फ़िरऔन से निजात दिलाई थी, इसलिये मूसा अलैहि. ने इस दिन का रोज़ा रखा था! आप सल्ल. ने फ़रमाया-मूसा अलैहि. के हम तुम से ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं! चुनांचे आप सल्ल. ने इस दिन रोज़ा रखा और सहाबा इकराम रजि. को भी इसका हुक्म दिया। (बुख़ारी-2004 मुस्लिम-1956 अबुदाऊद-2421 इब्ने माजा-1734)

2. आईशा रजि. ने बयान किया कि ''आशुरा'' के दिन ज़माना जाहिलियत में क़ुरैश रोज़ा रखा करते थै और रसूल सल्ल. भी रोज़ा रखते थे। फिर आप सल्ल. जब मदीना तशरीफ लाये तो आप सल्ल. ने यहां भी रोज़ा रखा और सहाबा रजि. को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया लेकिन रमज़ान (के रोज़े) की फ़रज़ीयत के बाद आप सल्ल. ने उसको छोड़ दिया और फ़रमाया कि अब जिसका जी (दिल) चाहे इस दिन का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे रोज़ा न रखे। (बुख़ारी-2002 मुस्लिम 1941 अबुदाऊद-2419)

इस हदीस से मालूम हुआ कि शुरू इस्लाम में यह ''आशूरा'' का रोज़ा फर्ज़ था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो इसकी फ़रज़ीयत जाती रही।

3. इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''आशुरा'' (दस मुहर्रम) के दिन रोज़ा रखो और उसमें यहूद की मुख़लिफ़त के लिये एक दिन पहले या एक दिन

बाद का रोज़ा और मिला लो। (मुसनद अहमद)
4. अबु हुरैरा रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया सब रोज़ो में अफ़ज़ल रमज़ान के रोज़े हैं उसके बाद मुहर्रम के रोज़े हैं जो अल्लाह का महीना है। और बाद नमाज़े फ़र्ज़ के सब नमाज़ों में अफ़ज़ल तहज्जुद की नमाज़ है। (मुस्लिम-2038 तिर्मिज़ी-637)
5. अबु कतादा रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया- मैं समझता हूँ कि अल्लाह तआला दस मुहर्रम (आशूरा) के रोज़े की वजह से गुज़रे एक साल के गुनाह माफ़ कर देगा। (इब्ने माजा-1738)
इन अहादीस से इस दिन के रोज़े की अहमियत और फ़ज़ीलत का इल्म हुआ। इस दिन का रोज़ा रखने से गुज़रे एक साल के सगीरा गुनाह (माफ़ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह सिर्फ़ सच्ची तौबा से माफ़ होते है।)

बिदअत और उसकी बुराई

1. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि. से मरवी हदीस में है कि यक़ीनन सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है1 सबसे अच्छा तरीक़ा मुहम्मद सल्ल. का तरीक़ा है। सबसे बदतरीन काम (दीन में) नये ईजाद कर्दा (बिदआत) हैं और हर बिदअत गुमराही है। (मुस्लिम-1471, इब्नेमाजा 045) और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। (नसाई 1581)
2. आईशा रजि. से मरवी है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''जिसने हमारे इस दीन में कोई नई बात ईजाद की, वह मरदूद है। (बुख़ारी-2697 मुस्लिम-3316)
3. आईशा रज़ि. से मरवी एक हदीस में है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया '' जिसने दीन में ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, वह मरदूद है।'' (मुस्लिम-3317)

इर्शादे बारी तआला है-

1. आज तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। (माईदा-03)
2. ऐ रसूल (स.अ.व.स.) तुम पर जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, उसे लोगों तक पहुचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो पैग़म्बरी का हक़ अदा नहीं किया। (माईदा-67)
3. कभी नहीं हो सकता कि पैग़म्बर कुछ छिपाये यानि पैग़ामे हक़ पहुंचाने में ख़यानत करे। (आले इम्रान-161)
4. ऐ ईमान वालों! अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल की इताअत करो। और अपने आमाल को (इनकी नाफ़रमानी करके) बर्बाद न करो। (मुहम्मद-33)

नबी सल्ल. का इर्शाद है-

1. तुम्हारे दर्मियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ '' किताबुल्लाहि व सुन्नति'' एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जब तक इन दोनों को थामे रहोगे, हर गिज़ गुमराह न होगे। (मोत्ता मालिक-2251)
2. सब से बेहतर मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वोह लोग जो उसके बाद होंगे और फिर वह लोग जो उनके बाद होंगे। (रावी-अब्दुल्लाह रज़ि.-बुख़ारी-2652)
3. यह हदीस इन्हीं लफ़्ज़ों में इम्रान बिन हसीन रजि. से भी मरवी है। (तिर्मिज़ी-2028)

इन कुरआनी आयात और अहादीसे रसूल (स.अ.व.स.) से पता चला-कि-

1. दीने इस्लाम नबी सल्ल. की ज़िन्दगी में मुकम्मल हो चुका था।
2. आप सल्ल. पर जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया, आप सल्ल. लोगों तक पहुंचा गये बिना कोई कमी या बेशी किये।
3. हमारी कामयाबी के लिये अल्लाह की किताब (कुरआन) और नबी सल्ल. की सुन्नत (तरीक़े) को अमल में लाना ज़रूरी है।
4. किताब व सुन्नत को छोड़ेंगे तो गुमराह हो जायेंगे।
5. शुरू के तीन ज़मानों के लोग (हम में के) सब से बेहतर लोग थे।

6. मोमिनों को अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करना चाहिये।
7. अल्लाह की या उसके रसूल की बात (हुक्म) के मुक़ाबले किसी और की बात मानना, अपने आमाल को बर्बाद करना है।

मुहतरम मुसलमानों! हम में कितने है ? जिन्हें–

1. सय्यदु शुहदा हज़रते ''हमज़ा'' रज़ि. के क़ातिल का नाम और तारीखे़ शहादत का इल्म है।
2. दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते ''उमर रज़ि.'' के क़ातिल का नाम और तारीखे़ शहादत का इल्म है।
3. तीसरे ख़लीफ़ा हज़रते ''उस्मान रज़ि.'' के क़ातिल का नाम और तारीखे़ शहादत का इल्म है।
4. चौथे ख़लीफ़ा हज़रते ''अली रज़ि.'' के क़ातिल का नाम और तारीखे़ शहादत का इल्म है।
5. हज़रते''हसन बिन अली रज़ि.'' के क़ातिल का नाम और तारीखे़ शहादत का इल्म है।

क्या यह सब हज़रते ''हुसैन बिन अली रज़ि.'' से अफ़ज़ल न थे?
क्या इनकी शहादत शहादत न थी?
क्या सहाबा इकराम रज़ि. ने किसी का यौमे विलादत या यौमे वफ़ात या यौमे शहादत मनाया?
अगर नहीं और यक़ीनन नहीं तो फिर क्यों ऐसा लगता है?–

गोया मुहर्रम का महीना जिसकी दसवीं तारीख़ को हज़रते हुसैन बिन अली रजि. की शहादत का वाकि़या पेश आया इसी ऐतेबार से फ़ज़ीलत रखता है। हालाकि इस दिन की फ़ज़ीलत की बुनियाद हुसैन रज़ि. की शहादत का वाकि़या हरगिज़ नहीं है। यह सानेहा तो दस मुहर्रम 61 हिजरी में पेश आया था। जबकि शरीयत की तकमील अहदे रिसालत में यानि इस वाकि़ए से 50 साल पहले हो चुकी थी। क्या शरीयत की तकमील के बाद पेश आने वाले किसी भी वाकि़ए को चाहे वह कितनी ही अहमियत क्यों न रखता हो, कोई शरई हैसियत दी जा सकती है? या उसकी वजह से किसी भी कि़स्म की इबादत का एहतेमाम किया जा सकता है? या कोई दीनी या मज़हबी रस्में अन्जाम दी जा सकती हैं? जबकि बात यह है कि

मुहर्रम मुसलमानों के लिए एक खास महीना है! अल्लाह तआला ने इस माह में मुसलमानों पर बहुत से इनआमात किये। इस माह की दस तारीख़ को मूसा अलैहि और उनकी क़ौम को फ़िरऔन के ज़ुल्म से निजात मिली। इसी दिन अल्लाह तआला ने फ़िरऔन और उसकी क़ौम को दरिया में ग़र्क़ किया। अल्लाह की इसी मेहरबानी के शुक्राने में मूसा अलैहि और उनकी क़ौम ने रोज़ा रखा। इस दिन की फ़ज़ीलत में आप सल्ल. ने रोज़ा रखा और सहाबा रजि. को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया।
रमज़ान की फ़रज़ीयत से पहले इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था।

इसी माह में मुसलमानों ने ख़ैबर फ़त्ह किया और यहुदियों को शिकस्त दी। इसी ग़ज़वे ख़ैबर में यहुदियों का सरदार मरहब क़त्ल हुआ।

इसी माह में उमर रज़ि. के दौरे ख़िलाफ़त में सअद बिन अबि वक़्क़ास रज़ि. की क़यादत में फ़ारस (कादसिया और मदयन) फ़त्ह हुए।
इसी जंग में फ़ारसी सरदार रूस्तम क़त्ल हुआ।

गुज़रते वक़्त के साथ शायद हम यह सब भूल गये और जाने–अन्जाने वह कुछ करने लगे जिसका हुक्म न अल्लाह ने दिया और न ही अल्लाह के रसूल स.अ.व.स. ने।
नबी सल्ल. तो फ़रमाते है–
1. अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाली किसी भी
औरत के लिये किसी भी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा और शौहर की मय्यत पर चार

माह दस दिन से ज़्यादा मातम (सोग) करना जाइज़ नहीं। (उम्मे हबीबा रजि.–बुख़ारी–1280–81)

2. अब्दुल्लाह बिन जअफ़र रजि. से रिवायत है– नबी सल्ल. ने जअफ़र बिन अबितालिब की वफ़ात पर तीन दिनों तक लोगों को आने की इजाज़त दी। तीन दिन के बाद आप सल्ल. ने फ़रमाया–आज के बाद मेरे भाई का सोग न किया जाये। (नसाई–2090)

2. हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमाहुमुल्लाह–352 हिजरी के हालात तहरीर करते हुए लिखते हैं– ''इस साल दस मुहर्रम को बग़दाद में मोउजुद्दौला बिन–बोया अल्लाह उसका बुरा करे ने हुक्म दिया कि बाज़ार बन्द कर दिये जाए और औरतें बालों के बने हुए कम्बल पहन कर बाज़ारों में इस तरह निकलें कि वोह चेहरे नंगे करने वालियां और बाल बिखेरने वालियां हो। अपने चेहरों को थप्पड़ मारें, और हुसैन बिन अली रजि. पर नोहा करें।

उन्हें इस काम से रोकना अहले सुन्नत के बस में न था। उसकी वजह यह थी कि शिया हज़रात की अक्सरियत थी, उन्हें ग़ल्बा हासिल था और बादशाहे वक़्त उनके साथ था।'' (अल बिदाया वल निहाया)–

इस इक़्तेबास से मालूम हुआ कि ताज़िया साज़ी का रिवाज 352 हिजरी में शुरू हुआ और इसका बानी मौउजुद्दौला बिन बोया है। इससे पहले इस रस्म का कहीं नामों–निशान तक न था।

3. मशहुर शिया लेखक शाकिर हुसैन नक़वी की किताब ''मुजाहिदे आज़म P333 में लिखा है– उत्तरी भारत में यह ताज़िया साज़ी और माहे मुहर्रम के जुलुस नवाब आसिफ़ुद्दौला के दौर में लखनऊ से शुरू हुए–1188 हिजरी के बाद। ताज़िये जिस तरह भारत में होते हैं, कहीं नहीं होते यहां तक के ईरान में भी नहीं, जहां शिया हज़रात अक्सरियत में हैं

इसी किताब में शिया लेखक ने करबला के 25 ऐसे वाक़िआत की जो बहुत मशहुर हैं और शियों के अलावा कुछ सुन्नी ख़ु तबा की ज़बान से भी अदा होते हैं और मरसियों में दर्द अंगेज़ तरीक़े से दुहराये जाते हैं, पुर ज़ोर तरदीद की है। (बहवाला अल्लाह की पुकार–नवम्बर 2008)

1. फ़िक़्ह जअफ़रिया की मुल्ला बाक़र मजलिसी कि किताब हयातुल क़ुलूब J2P542 में लिखा है कि ''जिसने किसी क़ब्र की तजदीद की या कोई शबीह बनाई तो वह इस्लाम से–ख़ारिज हो गया।''

इसी फ़िक़्ह की एक और किताब (मन ला यह द र हा अलफ़क़ीह J1 P121) में लिखा है'' जिसने कोई बिदअत ईजाद की और उसकी तरफ़ दावत दी या दीन बनाया! वह इस्लाम से ख़ारिज हो गया।'' (बहवाला–आप के मसाईल और उनका हल)

1. इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है कि फ़रमाया नबी सल्ल. ने– अल्लाह तआला बिदअती का कोई अमल क़ुबूल नहीं करता। यहां तक कि वह अपनी बिदअत छोड़ दे और तोबा कर ले। (इब्ने माजा–050)

यही हदीस अनस इबने मालिक रजि.से तबरानी ने हसन सनद के साथ रिवायत की है। बुख़ारी 2697 और मुस्लिम 3316 की आईशा रजि. से मरवी हदीस कि ''जिसने हमारे इस दीन में कोई बात ईजाद की, वह मरदूद (रद्ध) है।'' इन अहादीस की रोशनी में–

– ज़रा सोचिये –

हज़रते हुसैन रजि. की यादगार के तौर पर जो ताज़िया बनाया जाता है।

ताज़िया बना कर जो कुछ उसके साथ किया जाता है।

जो चढ़ावे उस पर चढ़ाये जाते है।

जो मन्नतें उसके साथ मानी जाती है।

जो मरसिये की मजालिस मुनअकि़द की जाती हैं।
वाकि़ए करबला को जो अफ़सानवी रंग दिया जाता है।
जो नियाज़ फ़ातिहा का एहतेमाम किया जाता है।
जो मातमी जुलूस निकाले जाते हैं।
जो (शरबत की) सबीलें लगाई जाती हैं।
जो खि़चड़ा पकाया–खिलाया जाता है।
जो ईसाले सवाब किया जाता है।

क्या यह सब या इनमें से कोई एक बात भी अल्लाह के कुरआन या नबी सल्ल. की हदीस (सुन्नत) से साबित है ?
या फिर उन तीन ज़मानों जिन्हें नबी सल्ल. ने बेहतरीन ज़माने कहा है, में हमें इस तरह का अमल मिलता है?

हुसैन रजि़. जिन्हे नबी सल्ल. ने जन्नत में नौजवानों का सरदार बतलाया है। (तिर्मिजी 4401) जो मज़लूमाना तौर पर शहीद किये गये और जो आली मर्तबा हैं। क्या उन्हें हमारे ईसाले सवाब की ज़रूरत है? या हम सवाब हासिल करने के ज़्यादा मुहताज है।
क्या सवाब खाने या मिठाई वगै़रह पर नियाज़–फ़ातिहा देने–दिलाने पर ही मिलता है? क्या सवाब दूसरे नेक कामों मसलन किसी को नमाज़ की तरफ़ बुलाने या किसी को बुराईयों से बचने की तलक़ीन करने पर नहीं मिलता? क्या हम ऐसे काम करके उनका सवाब भी ईसाल करते या बख़्शते हैं?
क्या नबी सल्ल. का लाया हुआ (ख़ालिस) दीन हमारी निजात के लिये काफ़ी नहीं हैं?
5. जबकि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि–
1. अल्लाह भूलने वाला नहीं। (मरयम–64)
2. अल्लाह से भूल–चूक नहीं होती। (ताहा–52)
3. नबी सल्ल. ने भी पैगम्ब़री का पूरा–पूरा हक़ अदा किया, कुछ छिपाया नहीं। (आले–इम्रान–161)

इब्ने तिमिया रह. फरमाते है के हजरते हुसैन रजि. की शहादत पर शैतान ने दो बिदअते जारी की:–
एक तो मोहब्बते हुसैन रजि. का दावा करने वाले (राफ़ज़ियों) के ज़रिये जिन्होने इस दिन को मातम का दिन बना लिया
दूसरी बिदअत हजरते अली और हुसैन रजि. से बुग़्ज़ रखने वाले (खारजियों) के ज़रिये जिन्होने इस दिन के लिये खुशी के बहुत से अमल गढ़ लिये। यहां तक के यह हदीस भी के जो शख्स योमे आशुरा को अपने अहलों अयाल पर कुशादगी करेगा अल्लाह उस पर पुरे साल कुशादगी करेगा। (मिनहाजुस्सुन्नह)

शरीयत साज़ी अल्लाह का हक़ है। फिर अगर मैं कोई ऐसा काम दीन समझ कर करूं जिसका हुक्म न अल्लाह ने दिया हो और न उसके रसूल ने तो मेरा किया गया वह काम क्या कहलायेगा?
क्या मेरा यह काम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना न कहलाएगा ? जबकि अल्लाह करीम का इर्शाद है '' ऐ ईमान वालों! अल्लाह से और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। (हुजुरात–01)
क्या नबी सल्ल. के दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद दीन के नाम पर ईजाद की गई रस्मों पर अमल करना सवाब पाने का काम हो सकता है?
अगर नहीं तो क्या हमें अपने आपको और अपनों को इन रस्मों को निभाने से नहीं रोकना चाहिये?
अल्लाह तआला तो फ़रमाता है–ऐ ईमान वालों! अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ! जिसका ईधन इन्सान और पत्थर होंगे। (तहरीम–06)

एक और इर्शादे बारी तआला है– ''नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक–दूसरे का साथ दो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का तआवुन न करो। (माईदा–02)

जो लोग ख़ुलूस के साथ अल्लाह से हिदायत के तालिब होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर हिदायत से नवाज़ता है। इसलिए कि–अल्लाह फ़रमाता है'' जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा (कोशिश) करेंगे, हम ज़रूर उन पर अपनी राहें खोल देंगे। (अन्कबूत–69)

हम सब जानतें है कि एक दिन हम भी न रहेंगे क्यों कि ''हर नफ़्स (जान) को मोत का मज़ा चखना है।'' (आले इम्रान–185 अम्बिया–35 अन्कबूल–57)

(और) यह भी कि ''कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा।''
(अनआम–164, इस्रा–15,फ़ातिर–18, ज़ुमर–07, नज्म–38)

हज़रते हुसैन रज़ि. और उन के साथियों ने जो कुछ किया और उनके साथ जो कुछ किया गया उसकी जवाब देही हम पर नहीं है। हमें अपने आमाल की जवाब देही करना है, इसलिए हमें उसी की फ़िक्र होनी चाहिये।

अल्ला तआला ने इर्शाद फ़रमाया–''तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा क स बत व लुक्म मा कसबतुम। वला तुस्अलू न अम्मा कानू यअ मलून''

तर्जुमा–यह एक गिरोह था जो गुज़र गया। उन लोगों ने जो कुछ कमाया वह उनके लिये है और तुमने जो कुछ कमाया वह तुम्हारे लिये है। उनके आमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जायेगा। (बक़र–134,141)

हमारा मक़सदे हक़ीक़ी

अल्लाह की ख़ुशनूदी, उसके अहकाम की बजा आवरी और मोहम्मद सल्ल. के उस्व ए हस्ना की पैरवी और अल्लाह के हक़ीक़ी दीन को अपनी ताक़त भर उसके बन्दों तक पहुंचाना है।

अख़ीर में अल्लाह तआला से दुआ है कि– वह हम सब को सिराते मुस्तक़ीम (सीधी राह) को जानने–समझने और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें हर तरह के शिर्क व बिदआत से बचाए। हमें जब मौत आए तो इस हाल में आए कि हम मुसलमान (फ़रमा बर्दार) हों।

इन पर्चो को आम करने में जो हजरात हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं– ऐ अल्लाह! तू उन्हें जज़ाए ख़ैर अता कर। और हमारी कोशिशों को शर्फ़े कुबूलियत अता फ़रमा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाले सालेह करने और हक़ बात की तल्क़ीन करने की तौफ़ीक अता फ़रमा।

आमीन या रब्बुल आलमीन!

''सुब्हा न रब्बि क रब्बिल अिज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून! व सलामुन अलल मुर्सलीन! वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन''

तर्जुमा– आपका रब जो बड़ी इज़्ज़त वाला हैं, पाक है हर उस चीज़ से जो (मुश्रिक) बयान करते हैं। पैग़म्बरों पर सलाम है।

और सारी तअरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का– पालन हार है। (साफ़्फ़ात–180 से 182)

अहले इल्म हज़रात से अपील है कि अगर कहीं कमी या ग़लती पाये तो हमारी इस्लाह फ़रमाएं। शुक्रिया

वास्सलाम!

दिनांक 15/11/2008 आपकी राय और दुआओं का तालिब

आपका भाई

मुहम्मद सईद
टोंक
मो.09887239649